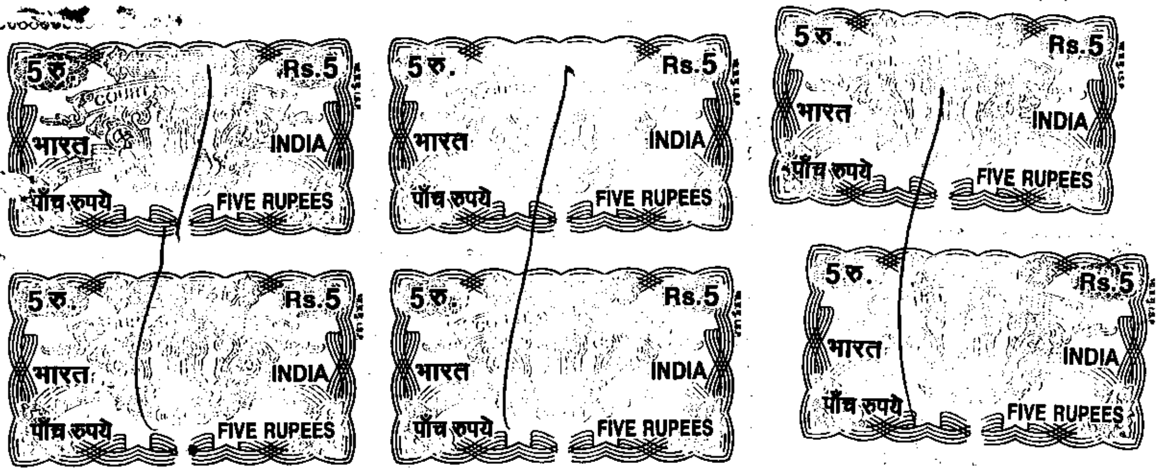

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R-3823-PBR-16

यशवंतसिंह पिता भभूतसिंह कोठारी
निवासी– ग्राम पंचेड तह. व जिला रतलाम – प्रार्थी

विरूद्ध

दिनांक 7-11-16 को श्री ... प्रस्तुत।
7-11-16

मुकेश पिता मदनसिंह कोठारी
निवासी– ग्राम पंचेड तह.व जिला रतलाम – प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प.भू.रा.सं.

मान्यवर महोदय,

466 / 07.11.16

मै प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय रतलाम म.प्र. अपील प्रकरण कं. 02/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 17.10.16 जिसमें प्रतिप्रार्थी का धारा 52 म.प्र. भू.रा.सं. का प्रकरण का अपील के निराकरण तक स्थगन आदेश प्रदान किये जाने से असंतुष्ट होकर अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधारो पर उपरोक्त निगरानी प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3823–पीबीआर/2016 **जिला रतलाम**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09.11.16	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0वाजपेयी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17–10–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से परिलक्षित होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा असीमित अवधि के लिये स्थगन दिया गया है जबकि म0प्र0भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार 3 माह से अधिक की अवधि का स्थगन नहीं दिया जा सकता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–16 निरस्त किया जाकर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे संहिता के प्रावधानो के अनुसार आदेश पारित करें। अध्यक्ष	